कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा / प्रारं / शि.संस्था / एफ–4 / विदेश यात्रा / 1260 / 2018 **दिनांक–** 30/08/18

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारंभिक शिक्षा,
श्रीगंगानगर।

रजिस्टर्ड / ईमेल

विषयः–श्रीमती राजेन्द्र पाल कौर, अध्यापिका राउप्रावि 26 पीएस रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर को विदेश यात्रा की अनुमति बाबत।

प्रसंगः–आपका पत्रांक जिशिअ / प्राशि / गंगा / 2018 / 1572 दिनांक 21.08.18

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है, कि श्रीमती राजेन्द्र पाल कौर अध्यापिका राउप्रावि 26 पीएस रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर जिनकी प्रथम नियुक्ति दिनांक 14.07.99 है तथा राज्य सेवा मे स्थाई रुप से कार्यरत है, को दिनांक **24.09.18 से 24.10.2018** तक की अवधि में **पर्थ, आस्ट्रेलिया** हेतु विदेश यात्रा की अनुमति निम्नांकित शर्तो के तहत प्रदान की जाती हैः–

1. विदेश यात्रा के दौरान किसी प्रकार का व्यवसाय नही करेंगे।
2. विदेश यात्रा के लिये प्रथम बार मे आवेदित अवकाश मे किसी प्रकार की वृद्धि निदेशालय की अनुमति के बिना स्वीकृत नही होगी। निर्धारित अवधि के बाद लौटकर नही आने पर सी.सी.ए. नियमों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
3. विदेश मे किसी प्रकार का अध्ययन नही करेंगे।
4. विदेश से भेजा गया त्याग पत्र स्वीकृत नही किया जाएगा।
5. विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनिमय नही किया जायेगा एवं नां ही राजकीय स्त्रोत से कोई विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जायेगी।
6. विदेश प्रस्थान से पूर्व सक्षम अधिकारी से अवकाश स्वीकृत पश्चात ही प्रस्थान करेंगे।
7. विदेश प्रवास के दौरान किसी भी प्रकार का नियोजन स्वीकार नही करेंगे।
8. विदेश प्रवास के दौरान जहॉ–जहॉ पर रहेंगे उनके पतों से इस विभाग को तुरन्त अवगत कराऐंगे।
9. यात्रा का समस्त खर्च स्वयं के द्वारा वहन किया जाएगा।
10. विदेश यात्रा अवधि मे शाला मे अध्ययन कार्य बाधित नही होना सुनिश्चित किया जाए।

उक्त स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थः–

1. श्रीमती राजेन्द्र पाल कौर अध्यापिका राउप्रावि 26 पीएस रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
2. रक्षित पत्रावली।

30/8/18

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर